

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मऊगंज (म.प्र.)

E-mail- deorew-mp@nic.in

क्रमांक./स्था-03/प्रा.शि.नि.स्पे.एजु./2026/1263

मऊगंज, दिनांक 31.08.2026

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) के पद पर उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

S.N	ROL L	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATE GOR Y	SELECT ED CATEG ORY	POSTING PLACE	BLOC K
1	34082 50666 337	1949	PRATIK KUMAR SINGH F/H Name- SHRAWAN KUMAR SINGH	N 4/72 KARAUNDI BHU VARANASI RAJATALAB VARANASI	UR	UR/X/OP	DISE-23140719927 SCHOOL/CLUSTER - Hanumana, GHSS SETH VIHARILAL HANUMANA(1 to 12)	Hanum ana
2	34082 50657 887	2083	ANIL KUMAR SHUKLA F/H Name- RAMA GOVIND SHUKLA	146 NEWDHIYA 42 PACHERA KORAON ALLAHABAD	UR	UR/X/OP	DISE-23140705034 SCHOOL/CLUSTER - Hanumana, GHS GIRLS KHATKHARI(1 to 10)	Hanum ana
3	34042 50681 555	11096	NIRAJ KUMAR MAURYA F/H Name- ALAGOO RAM MAURYA	NA VILL BAIDPUR VIJAIPUR SADAR MIRZAPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23140304043 SCHOOL/CLUSTER - Mauganj, GHSS GIRLS, MAUGANJ(1 to 12)	Mauga nj
4	34042 50719 427	12094	ASHISH KUMAR SONKAR F/H Name- RAMESH CHANDRA SONKER	LOHIYA TALAB POST PUTALIGHAR MIRZAPUR MIRZAPUR MIRZAPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23140712305 SCHOOL/CLUSTER - Hanumana, GHSS PRATAPGANJ(1 to 12)	Hanum ana
5	34102 50747 225	12688	SHIVAM PATEL F/H Name- UMA SHANKAR	NA VILLAGE RUSIYA POST DIGHARUVA RUSIYA TEHSIL BINDKI FATEHPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23140301815 SCHOOL/CLUSTER - Mauganj, GHS GIRLS DEOTALAB(1 to 10)	Mauga nj
6	34102 50747 854	13271	ASHISH PATEL F/H Name- BHARAT LAL SINGH	0 VILLAGE TILAVAN POST TILAVAN TEHSIL LALGANJ MIRZAPUR	UR	UR/X/OP	DISE-23140710708 SCHOOL/CLUSTER - Hanumana, GHSS MAJHIGAWAN(1 to 12)	Hanum ana
7	34112 50712 078	14849	AKANKSHA SINGH BAGHEL F/H Name- DHYAN SINGH BAGHEL	0 VILLAGE RATWAR POST MAURA TEHSIL RAMPUR NAIKIN SID	EWS	GF/EWS/ X/F	DISE-23140500110 SCHOOL/CLUSTER - Naigarhi, GHSS PHOOL(1 to 12)	Naigarh i

(B)

8

8	34082 50666 743	22058	WASIM AKARAM F/H Name- FAKHURDIN ANSARI	1 BICHHARAHATA BICHHARAHATA HANUMANA REW	OBC	OBC/X/O P	DISE-23140702915 SCHOOL/CLUSTER - Hanumana, GHSS BARAON(1 to 12)	Hanum ana
9	34112 50632 171	26135	RAKESH KUMAR SAKET F/H Name- RAMGREEB SAKET	52 SUHA GAURI HANUMANA MUJ	SC	SC/X/OP	DISE-23140701011 SCHOOL/CLUSTER - Hanumana, GHSS PAHADI(1 to 12)	Hanum ana
10	34112 50730 750	29296	NEELAM TIWARI F/H Name- MUNISH TIWARI	109 VILL GUJRED POST GUJRED TEH RAMPUR NAIKIN SID	EWS	GF/EWS/ X/F	DISE-23140303008 SCHOOL/CLUSTER - Mauganj, GHSS RATANGAWAN(6 to 12)	Mauga nj
11	34082 50716 053	33653	DEEPAK KUMAR PATEL F/H Name- BANSHPATI PRASAD PATEL	0 VILL KANKESARA POST KHAIRA KANKESARA MAUGANJ REW	OBC	OBC/X/O P	DISE-23140505507 SCHOOL/CLUSTER - Naigarhi, GHSS ITAHA KALA(6 to 12)	Naigarh i
12	34112 50632 257	67469	RAM KAILASH SAKET F/H Name- RAM BHUVAN SAKET	49 WARD NO 03 BELAUHI POST SAHPUR HANUMANA MUJ	SC	GF/SC/X/ OP	DISE-23140704409 SCHOOL/CLUSTER - Hanumana, GHS RAMKUDWA(1 to 10)	Hanum ana

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छट्वां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 सितम्बर 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी

कार्यालय में अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से किया जायेगा। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
- IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता (स्पेशल डीएलएड) संबंधी दस्तावेज।
- X. आरसीआई द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाणपत्र एवं CRR नंबर
- XI. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
- XII. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाणपत्र
- XIII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XIV. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट-1)
- XV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-2)
- XVI. NIOS से D.El.ED करने की स्थिति में संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-3)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के इस कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को जिला पारस्परिक परिवर्तन के लिए दिए गए विकल्प के कारण पूर्व में जारी जिला आवंटन आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परीवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग)

सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा की पदस्थापना संकुल शाला में रहेगी, परन्तु संकुल अंतर्गत जिस शाला में दिव्यांग छात्रों की संख्या अधिक (अस्थि बाधित को छोड़कर) होगी, उस शाला में अध्यापन कार्य कराना होगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य विद्यालय जहाँ दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उन विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण/सहयोग करना होगा।

10/ आरसीआई द्वारा जारी सीआरआर नम्बर संपूर्ण सेवा के दौरान क्रियाशील रहना अनिवार्य है। आरसीआई प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर इसे छः माह के भीतर नवीनीकरण कराना होगा। निर्धारित समयावधि में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं करवाने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला-रीवा/मऊगंज (म0प्र0)

पृ.क्रमांक./स्था-03/प्रा.शि.नि.स्पे.एजु./2026/1264
प्रतिलिपि:-

मऊगंज, दिनांक 31.08.2026

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म0प्र0 भोपाल
7. संभागायुक्त रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश ।
8. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश ।
9. कलेक्टर जिला-मऊगंज, मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला-मऊगंज म.प्र. ।
11. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड-..... जिला-मऊगंज, म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा/मऊगंज (म.प्र.) को दिनांक 7 सितम्बर 2026 तक अपनी उपस्थिति देवें।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला-रीवा/मऊगंज (म0प्र0)